न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र 14 (4) संख्या 24/2012 पुनः दर्ज 22/2021

पांचूराम पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम केरिया खुर्द, पटवार क्षेत्र उरसोवा, हरसौली, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर निवासी ग्राम केरिया बुजुर्ग रहलाना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर
2. गणपतसिंह दत्तक पुत्र श्री रामप्रताप दान जाति चारण निवासी ग्राम केरिया खुर्द, हरसौली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (अध्यापक) राजकीय सेवा, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग जिला नागौर ।
3. आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी सांभर, तहसील सांभर, जयपुर ।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई निवासी केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

अभिभाषक गण:–

वास्ते प्रार्थी –
एडवोकेट श्री मुकेश चौधरी
अप्रार्थी संख्या 1 एक तरफा कार्यवाही
वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 –
एडवोकेट श्री मंजूर अली
अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के लिए पैरोकार सरकार
वास्ते अप्रार्थी संख्या 5 –
एडवोकेट श्री हनुमान प्रसाद चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त कराये जाने फर्जी दिखावटी व नुमाईशी आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 आवंटन समिति आवंटन कमेटी, उपखण्ड अधिकारी तथा उक्त आवंटनों के अस्तित्व में नहीं होते हुये भी तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 56 को निरस्त करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक : 30.06.2025

1 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

1. महज दिखावटी, नुमाईशी एवं फर्जी षडयन्त्रपूर्वक आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी सांभर दिनांक 29.06.1976 बाबत गत खसरा नम्बर 282/2 नया 282 एवं हाल खसरा नम्बरान 450, 451, 452 ग्राम केरिया खुर्द, पटवार हल्का उरसेवा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर को निरस्त करने बाबत इन आधार पर पेश किया गया कि इन खसरा नम्बरान को कभी भी किसी भी प्रकार से आवंटन अप्रार्थीगान के पक्ष में तत्समय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया ही नहीं गया था।
2. प्रार्थी के अनुसार दिनांक 28.06.76 को उपर वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में कभी भी किसी प्रकार का आवंटन, सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी सांभर के समक्ष दिनांक 27.02.2012 को नकल प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहे जाने प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ लौटा दिया गया कि इस प्रकार का कोई आवंटन आदेश नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना कोई आवंटन आदेश हुए ही उनके नाम विवादित भूमि गैर खातेदारी में कैसे दर्ज हो गई।
3. यह कि फर्जी तथा दिखावटी नुमाईशी आवंटनों के हुए बिना ही किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में फर्जी आवंटन आदेश की पालना दिखाते हुए खातेदारी का नामान्तरकरण कैसे खोला जा सकता है। अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र लालूराम जाति नामालूम के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 56 तथा अप्रार्थी संख्या 1 बी.एन. गौड के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 16.09.1977 किस आधार पर एवं किस आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज किया गया, कतई साबित एवं स्पष्ट नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि आवंटन सलाहकार समिति सांभर द्वारा दिनांक 29.6.76 को अप्रार्थीगण के पक्ष में ऐसी किसी भी प्रकार की आवंटन की कार्यवाही ही नहीं की गई थी। इस कारण प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण पूर्णतया शून्य अवैध एवं क्षेत्राधिकारविहीन तथा काल्पनिक होने से निरस्तनीय है।
4. यह कि प्रार्थी का ही वास्तविक रूप से प्रारम्भ से आज तक विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त एवं मकानात आदि बने हुए हैं तथा फर्जी बिना हुए ही दिखावटी आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 52 एवं 56 के द्वारा राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात के कारण अप्रार्थी शिकायतकर्ता प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर आवंटन सलाहकार समिति, तहसीलदार सांभर व विभिन्न राजस्व पदाधिकारियों ने बिना आवंटन आदेश अस्तित्व में हुए ही अप्रार्थी के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण व जमाबन्दी आदि के राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी का अंकन करने में गंभीर कानूनी भूल की गई है।
6. यह कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वप्रथम आवंटन रजिस्टर या अन्य किसी भी दस्तावेजात से ऐसा आवंटन करना साबित ही नहीं होता है तथा साथ ही तथाकथित फर्जी आवंटन आदेश जैर प्रार्थना पत्र के द्वारा आवंटन नियम 1970 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वर्णित किन्हीं भी नियमों की कोई पालना नहीं की गई। आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में करने से पूर्व न तो कोई उदघोषणा जारी हुई तथा ना ही कोई कब्जे संबंधी जांच एवं प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन हेतु आमन्त्रित ही किये गये, इस कारण आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा आवंटन संबंधी की गई समस्त कार्यवाही पूर्णरूपेण से एब इनिशियों वायड, शून्य क्षेत्राधिकार विहीन तथा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।
7. इन आवंटन आदेशों की नकल प्रार्थी के द्वारा चाहे जाने पर प्रार्थना पत्र यह कहकर लौटा दिये गये कि उक्त दिनांक 28.6.1976 को ऐसे कोई आवंटन किये ही नहीं गये थे। यह भी कि जब मूल आवंटी शंकरलाल के पक्ष में ही कोई अधिकार नहीं होते हैं तथा ना ही गैर मुमकिन सडक का किसी भी कानून के तहत आवंटन ही किया जा सकता है, अतः अप्रार्थी संख्या 2 गणपतसिंह को खसरा नम्बर 450 में किस प्रकार से खातेदारी प्रदान की गई है, उक्त तथ्य से स्पष्ट नहीं है एवं ऐसा राजस्व रिकार्ड संबंधी प्रविष्टि पूर्णतया शून्य होने से निरस्तनीय है। आवंटन संबंधी एवं काल्पनिक आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 के आधार पर नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

सा0 56 के द्वारा गैमु सडक की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी कानून के तहत खातेदारी प्रदत्त नहीं की जा सकती है और न ही अप्रार्थी संख्या 2 को किसी भी विधि के अन्तर्गत विवादित भूमि में कोई अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है। इस कारण नामा0 सं0 56 के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हेतु की गई समस्त कार्यवाही एवं नामा0 सं0 56 पूर्णतया शून्य होने से निरस्तनीय है। यह कि आवंटन नियम 1970 के नियमों की कतई कोई पालना नही की गई है, न तो उदघोषणा ही जारी हुई और न ही कोरम गठित हुआ, इस कारण समस्त कार्यवाही कपट पूर्वक एवं षडयन्त्र पूर्वक अप्रार्थी द्वारा कराई गई है जो निरस्तनीय है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970, भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी सांभर(आवंटन कमेटी) निरस्त फरमाई जाकर एवं संबंधित राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश चाहे गये है एवं उक्त काल्पनिक आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 की पालना में तरदीक नामान्तरकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थन पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर रिपोर्ट "अंकित तिथि मे कोई आवटन नहीं हुआ। प्रोसिडिंग रजिस्टर में कोई आवंटन नहीं हुआ है" के कारण इस आदेष की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं करने बाबत छूट चाही है।
2. ग्राम केरियाखुर्द के खसरा नम्बर 277 रकबा 0.2000 है0 गै0मु0 सडक, 452 रकबा 2.4600 है0 बारानी 2 भूमि के लिए गैर खातेदार श्री शंकरलाल पुत्र लालू कौम रैगर सा0देह के नाम से दर्ज की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है।
3. नाम0संख्या 56 के अनुसार सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बिघा 14 बिस्वा में से 14 बीघा 07 बिस्वा का मिसल संख्या 2323 दिनांक 21.7.1976 के आधार पर आवंटन द्वारा श्री शंकरलाल पुत्र लालूराम कौम..... सा. केरियाबुजुर्ग के नाम आवंटन से भूमि दर्ज इन्द्राज किया गया है।
4. ग्राम केरियाखुर्द के खसरा नम्बर 101 रकबा 0.5000 है0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.2000 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.4700 है0 बारानी 2, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.7200 है. किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.97 है0 किस्म बारानी 2 किता 5 रकबा 2.86 है0 के लिए खातेदार श्री गणपतसिंह दत्तक पुत्र रामप्रतापदान कौम चारण सा.देह के नाम से दर्ज जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है।
5. हाल खसरा नम्र 450, 264, 451, 277, 452 के लिए मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की है।

पुनः दिनांक 23.05.2012 करे निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

6. दिनांक 15.5.1976 को किसी प्रकार आवंटन नहीं होने बाबत प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र पर दी गई सूचना की प्रति संलग्न की गई है।
7. अप्रार्थी गणपतदान के पिता श्री रामप्रताप दान व अन्य से सीलिंग से सरप्लस भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने के लिए दर्ज नामान्तरण संख्या 36 एवं 45 की प्रति प्रस्तुत की है।
8. सम्वत् 2033 से 2036 के समय की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके अनुसार तत्समय पर दर्ज की गई सिवायचक भूमि एवं इस भूमि को उसके आवंटन के लिए नोट लगे हुए है।
9. सम्वत् 2011 से 2029 के समय की खतौनी बन्दोबस्त की नकल।

3. प्रार्थना प्रत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की जाकर मिसल मातहत तलब की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रकरण में श्री बाबूलाल पुत्र छोगा जाति बलाई निवासी केरियाखुर्द तहसील दूदू जिला जयपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या 24/2012 में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन मिसल संख्या 232 दिनांक 29.6.1976 को उपजिलाधीश सांभर अलॉटमेन्ट दिनांक 28.6.1976 के अन्तर्गत इसके पिता श्री छोगाराम बलाई पुत्र देवा को खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 251 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन करना बताया जाकर इस आधार पर गैर खातेदारी काबिज काश्तकार होने के कारण हितबद्ध व्यक्ति होने के कारण पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री बाबूलाल के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए एक मुकदमा उनवानी छोगा बनाम तहसीलदार संख्या 21/94 दायर किया था जिसमें सहायक कलक्टर दूदू द्वारा यह आदेश दिया पारित किया गया कि "अतः आदेश दिये जाते है कि यदि मौके पर वादी आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और वादी का आवंटन आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो नियमानुसार ना0सं0 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। अतः वादी का दावा बाबत आराजी खसरा नम्बर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम केरिया खुर्द तहसील दूदू डिक्री किया जाता है। डिक्री परचा जारी हो" उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

5 इसके अतिरिक्त बाबूलाल पुत्र छोगा के द्वारा एक अलग से प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या 53/2012 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर, बीएल गौड, सूरजकरण रैगर, गनभरी देवी के विरूद्ध दिनांक 28.6.1976 के आवंटन सलाहकार समिति का संबंधित रिकार्ड तलब कर उक्त आवंटन एवं उनके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 52, 56 व 57 को निरस्त किये जाने तथा नामानतरण संख्या 53 में संशोधन किया जाकर प्रार्थी को आवंटनशुदा गैरखातेदारी भूमि पर खातेदारी प्रदत्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6. अप्रार्थी श्री बाबूलाल के द्वारा अपने पक्ष में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये--

1. नकल "आवंटन आदेश दिनांक की पटवारी का सूचना" आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक कमांक 2329 दिनांक 21.7.1976 जिसके द्वारा ग्राम केरिया खुर्द में खसरा नम्बर 251 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14बिस्वा भूमि का आवंटन छोगा पुत्र देवा बलाई को किया गया है।
2. नकल नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 09.09.1977 इसमें सिवायचक भूमि से खसरा नम्बर 251 में 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 में से 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किये जाने का इन्द्राज है।
3. तहसीलदार मौजमाबाद की मौका रिपोर्ट जिसमें शंकरलाल का केरिया खुर्द का निवासी नहीं है।
4. नकल निर्णय सहायक कलक्टर दूदू का निर्णय व डिक्री वाद संख्या 21/94 उनवान दिनांक 09.12.1994 में वाद प्रकरण छोगा बनाम तहसीलदार दूदू में वादी छोगा पुत्र देवा को खातेदार घोषित किया जाकर नामा. संख्या 55 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये है।
5. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र छोगालाल
6. नकल निर्णय अति0 जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर
7. राजस्व अपिल प्राधिकारी, अजमेर का पत्रांक 246/2018/75/दूदू/13.06.2019/1511 दिनांक 21.05.2019
8. तहसीलदार की दूदू की जॉच रिपोर्ट पत्रांक 2019/2206 दिनांक 08.07.2019
9. मिलान क्षेत्रफल
10. राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 30.09.2019
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर का पत्रांक भू.अभि./प.11(01)(89)एल.आर./1663-64 दिनांक 04.10.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

7. प्रकरण में इस न्यायालय के पत्र कमांक आर.ए./12/1639 दिनांक 25.5.2012 एवं बाद के स्मरण पत्रों द्वारा अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से मिसल संख्या 2323 आवंटन दिनांक 28.6.1976 बहक शंकरलाल पुत्र लालूराम की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने पत्र कमांक विविध/12/744 दिनांक 21.8.2012 द्वारा वांछित की गई मूल पत्रावली उपलब्ध करवाई गई।

8. प्रकरण में अति0 कलक्टर (भू0अ0) के पत्र कमांक भू.अ./ई–2/794 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा मूल नामान्तरण संख्या 52 इस न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

9. प्रकरण में अति0 कलक्टर (भू0अ0) के पत्र कमांक भू.अ./ई–2/1587 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा मूल नामान्तरण संख्या 56 इस न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

10. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण के कुछ अप्रार्थीगण को नोटिस, साधारण नोटिस एवं रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश कर जारी कराये जाने के बावजूद तामील नहीं हो रही है। इस कारण शेष अप्रार्थीयान जिनके सम्मन तामील नहीं हो पा रहे हैं, उनके सम्मन अखबार में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है तथा शेष अप्रार्थीयान को नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाने के आदेश चाहे गये। इस कम में इस न्यायालय द्वारा एक नोटिस अखबार में प्रकाशित कने के लिए जारी किया गया। यह नोटिस दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में इसके दिनांक 07.3.2013 में प्रकाशित करवाया गया।

11. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 गणपत सिंह की ओर से प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी ने दिनांक 28.6.1976 के किसी तथाकथित आवंटन आदेश की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जिसके आधार पर यह माने जाने का कोई कारण हो कि दिनांक 28.6.1976 को भूमि विवादग्रस्त का कोई आवंटन किया जिसको निरस्त किये जाने हेतु 1970 के उपरोक्त नियमों के नियम 14(4) के अन्तर्गत कोई आवेदन संधारण योग्य हो। प्रार्थी ने नियम 14(4) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित आवेदन करने के साथ नामान्तरकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है जबकि एक आवेदन में तीन अनुतोष नहीं चाहे जा सकते है। राजस्व नियमावली भाग–2 के नियम .... के तहत प्रत्येक विषय बिन्दू पर पृथक पृथक केस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है किसी आवंटन ओदश को निरस्त किये जाने हेतु 1970 के आवंटन योग्य नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी नामानतरण को निरस्त किये जाने हेतु अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत मेन्टेनेबिल होती है और इसलिए तीन पृथक पृथक विषय बिन्दुओं पर प्रार्थी द्वारा जो एक ही आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है संधारण योग्य ना होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 52 व 56 की कोई तारीख भी अंकित नहीं की है जो अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनवान के बाद वर्णित सबजेक्ट में नामान्तरण संख्या 52 कटा हुआ है परन्तु प्रार्थना पत्र के अन्त में नामान्तरण संख्या 52 को निरस्त किये जाने का ही अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने एक ही प्रकरण में तीन अनुतोष चाहे गये है जो संधारण योग्य नहीं है। यह भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि आवेदन के साथ प्रार्थी ने कोई आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अनिनियम प्रस्तुत की है और ना ही प्रार्थी पांचूराम को नामान्तरण संख्या 52 व नामान्तरण संख्या 56 की कब व किस प्रकार जानकारी हुई, जिसके आधार पर उक्त नामान्तरण के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये प्रकरण को अन्दर मियाद माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल ना होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी आपत्ति दर्ज करवाई गई कि अपीलाधीन तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 अथवा नामान्तरण संख्या 52 व 56 से प्रार्थी पांचूराम प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए उक्त प्रकरणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त जिला
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

12 अप्रार्थी श्री गणपत सिंह की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है:—

1. प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल संख्या 80/75 सीलिंग केस, उनवानी सरकार बनाम रामप्रतादान निर्णय दिनांक 03.6.1975 एस.डी.ओ. सांभर। इस आदेश में उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री रामप्रतापदान पुत्र श्री रामकरण दान कौम चारण सा0 केरियाखुर्द की भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 11 बिस्वा, 158 रकबा 11 बिस्वा, 161 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 163 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 176 रकबा 5 बिस्वा, 177 रकबा 3 बिस्वा, 119 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 266 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा का 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से हिस्सा 1/8 कुल 9 3/4 एकड जमीन अधिग्रहण की गई है।
2. प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश उपजिलाधीश सांभर दिनांक 03.6.1975 तहसील दूदू फोटोप्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र। इसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने सह खातेदारों की सहमति के साथ रामप्रताप दान के सीलिंग केस में निवेदन किया है कि प्रार्थी की सीलिंग में 15 बीघा 12 बिस्वा जमीन अधिग्रहण की गई है। प्रार्थी के हक में तकासमें से आई भूमि खसरा नम्बर 155, 158, 161, 176, 177, 162 एवं 251/1 होना बताते हुए इसमें से सीलिंग भूमि लिये जाने का अनुरोध किया गया है तथा इसमें अन्य सहखातेदारों को कोई एतराज नहीं होने बाबत निवेदन किया है।
3. प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय उपजिलाधीश सांभर दिनांक 15.5.1976 एवं 01.6.1976 दिनांक 15.5.1976 के द्वारा उपजिलाधीश सांभर के द्वारा पत्रावली 80/75 सरकार बनाम रामप्रताप में खातेदार का विकल्प मंजूर किया जाकर खसरा नम्बर 119, 266, 282 के हिस्से 1/8 की भूमि के बजाय खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा को कब्जे में लेने तथा खसरा नम्बर 155, 158, 161, 163, 176, 177 के रकबे 6 बीघा को बदस्तूर कब्जे में रखने के आदेष दिये गये। इस प्रकार 15 बीघा रकबा कब्जे में लेकर मुस्तरफा रकबा के नम्बर 119, 266, 282 को कब्जे से छोडने तथा इसकी तामीली रिपोर्ट मय दखलनामा प्रस्तुत करने का निर्देष दिया गया। दिनांक 01.6.1976 द्वारा पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा इस आदेश की पालना में खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि अधिग्रहण किया गया और खसरा नम्बर 119, 266 व 282 के हिस्से 1/8 की भूमि वापिस कब्जा दिया गया। इस कार्यवाही के लिए नामान्तरण संख्या 48 व 49 दर्ज किया गया।
4. नामान्तरण प्रति संख्या 48 व 49 : — नामान्तरण संख्या 48 के द्वारा खसरा नम्बर 119, 266 व 282 कित 3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा को सिवायचक से पुनः अप्रार्थी संख्या 2 रामप्रतापदान पुत्र रामरण दान कौम चारण सा.देह के नाम से दर्ज किया गया है एवं नामान्तरण संख्या 49 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण से खसरा नम्बर 251 मिन रकबा 9 बीघा सिवायचक दर्ज की गई है।

13 प्रार्थी की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, और यदि कोई ऐसा आदेश हुआ ही नहीं है तो उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 52 व 56 तस्दीक किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। पैरा तीन की आपत्ति को स्वीकार नही करते हुए निवेदन किया है कि ऐसी आपत्ति केवल अपील में उठाई जा सकती है। पैरा संख्या 4, 5 व 6 सर्वथा कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 4 आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है एव ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र का अध्ययन अपील के नजीरये से किया है। प्रार्थी मूल आवंटन को ही चुनौती दे रहा है तो उसे नामा.संख्या 52 व 56 की अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

14 प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 श्री शंकरलाल की तामील नहीं होने के कारण इसकी तामील दैनिक हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.9.2013 को करवाई गई।

15 प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग विगत विधि इतिहास है, अतः प्रत्येक अप्रार्थी के लिए पृथक-पृथक रूप से विचार जाना उचित होगा। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी गण के लिए पृथक पृथक विचार किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(1) **अप्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर निवासी ग्राम केरियाबुजुर्ग रहलाना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर** – प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के हिस्से तक प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

श्री शकरलाल पुत्र लालू कौम रैगर सा.केरिया बुजुर्ग को ग्राम केरिया बुजुर्ग के आराजी खसरा नम्बर 282 कुल 28 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बिघा 07 बिस्वा भूमि के लिए नामान्तरण संख्या 56 निर्णय दिनांक 17.09.1977 मिसल नम्बर 2323 दिनांक 21.7.1976 के आधार पर आवंटन के आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा आवंटन आदेष के संबंध मे कथन किया है कि इस प्रकार का कोई आवंटन हुआ ही नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने पत्रांक विविध/12/744 दिनांक 21.8.2012 के द्वारा इस न्यायालय को उपलब्ध करवाई आवंटन की मूल पत्रावली के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा ग्राम केरिया बुजुर्ग मे आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटन पत्रावली प्रेषित की है। इस साथ संलग्न आवंटन पत्रावली में श्री शंकरलाल द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य होने तथा आर्मी में काम करने के आधार पर ग्राम साली में सरप्लस भूमि आवंटन चाहा गया है। श्री शंकरलाल के प्रार्थना पत्र को उसके कार्यालय अधिकारी श्री जसबीर सिंह ले. कर्नल ऑफिसलर कमांडिग द्वारा दिनांक 20.12.1975 को जिला कलक्टर जयपुर को अग्रेषित किया हुआ है " आवंटन आदेश की पटवारी का सूचना" (देखिये नियम 15(1)क) के तहत प्रेषित आदेष पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रेषण कनांक 2323 दिनांक 21.7.1976 दर्ज के अनुसार श्री शंकरलाल को ग्राम केरिया खुर्द के खसरा नम्बर 282 में से 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि आवंटन की गई है। इसी आवंटन के तहत नामान्तरण संख्या 56 अप्रार्थी संख्या 1 के लिए दर्ज किया जाकर नाम दर्ज किया गया है।

व्यक्तिगत सम्मन तामील में तामील कुनिन्दा के द्वारा शंकरलाल ग्राम केरिया में नहीं रहता है, बाहर रहना बताया है, अतः मूल ही सेवामें पेश है" रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी शंकरलाल के सैनिक विवरण की जानकारी प्राप्त करने पर कर्नल रविन्द्रकुमार मायर (सै0नि0) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जयपुर के पत्रांक 2653 दिनांक 04.8.2015 के द्वारा "सिपाही शंकरलाल, पुत्र श्री लालूराम गांव/पो0 साली, तसहील दूदू, जिला जयपुर" जानकारी से अवगत कराया गया है।

तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी शंकरलाल का मौके पर कब्जा नही है।

अप्रार्थी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई अन्य तथ्य प्राप्त नही है। फिर भी राजकीय मूल दस्तावेंजों से प्राप्त साक्ष्यों का अवलोकन करने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार आवंटन होना सिद्ध हो रहा है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नुमाईशी कहा है जो कि उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा प्रेषित मूल रिकार्ड साक्ष्य से गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्री शंकरलाल पुत्र लालू कौम रैगर सा.देह गैर खातेदार के रूप में खसरा नम्बर 277 रकबा 0.20 हैक्टर गै.मु. सडक एवं खसरा नम्बर 452 रकबा 2.46 हैक्टर बारानी 2 किता 2 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि दर्ज है। उनके निवास की सही स्थिति का पता नहीं चलता है। साथ ही मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

उसके द्वारा तत्समय प्रभावी नियमानुसार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र इस अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के विरूद्ध नियम 14(4) के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(2) अप्रार्थी गणपतसिंह दत्तक पुत्र श्री रामप्रताप दान जाति चारण निवासी ग्राम केरिया खुर्द, हरसौली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (अध्यापक) राजकीय सेवा, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, जिला नागौर – प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 गणपत सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक श्री मंजूर अली के द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि तथाकथित आवंटन आदेश की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जिसके आधार पर यह माने जाने का कोई कारण हो कि दिनांक 28.06.1976 को भूमि विवादग्रस्त का कोई आवंटन किया जिसको निरस्त किये जाने हेतु 1970 के उपरोक्त नियमों के नियम 14(4) के अन्तर्गत कोई आवेदन संधारण योग्य हो। प्रार्थी ने नियम 14(4) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित आवेदन करने के साथ नामान्तरकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है जबकि एक आवेदन में तीन अनुतोष नहीं चाहे जा सकते है। राजस्व न्यायालय नियमावली भाग – 2 के नियम..... के तहत प्रत्येक विषय बिन्दु पर पृथक पृथक केस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, किसी आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु 1970 के आवंटन योग्य नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी नामान्तरण को निरस्त किये जानेहेतु अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत मेन्टेनेबिल होती है और इसलिए तीन पृथक पृथक विषय बिन्दुओं पर प्रार्थी द्वारा जो एक ही आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है संधारण योग्य ना होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 52 व 56 की कोई तारीख भी अंकित नहीं की है जो अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनवान के बाद वर्णित सबजेक्ट में नामान्तरण संख्या 52 कटा हुआ है परन्तु प्रार्थना पत्र के अन्त में नामान्तरण संख्या 52 को निरस्त किये जाने का ही अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने एक ही प्रकरण में तीन अनुतोष चाहे गये है जो संधारण योग्य नहीं है। यह भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि आवेदन के साथ प्रार्थी ने कोई आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अनिनियम प्रस्तुत की है और ना ही प्रार्थी पांचूराम को नामान्तरण संख्या 52 व नामान्तरण संख्या 56 की कब व किस प्रकार जानकारी हुई, जिसके आधार पर उक्त नामान्तरण के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये प्रकरण को अन्दर मियाद माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल ना होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी आपत्ति दर्ज करवाई गई कि अपीलाधीन तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 अथवा नामान्तरण संख्या 52 व 56 से प्रार्थी पांचूराम प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए उक्त प्रकरणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के लिए इसके साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी गणपतसिंह के मामले में प्रकरण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत भूमि आवंटन का है ही नहीं अपितु अप्रार्थी संख्या 2 के पिता रामप्रतापदान की भूमि को सीलिंग अधिनियम के तहत अधिगृहित की गई थी। तथा सीलिंग में ही श्री रामप्रतापदान की अधिगृहित की गई भूमि, उसके खाते के अन्य सहखातेदारों की सहमति सं, उसके पक्ष में आपसी तकासमें से प्रापत भूमि को अधिगृहित किये जाने के अनुरोध पर उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा पूर्व में अधिगृहित भूमि के खसरा नम्बर 155 रकबा 11 बिस्वा, 158 रकबा 11 बिस्वा, 161 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 163 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 176 रकबा 5 बिस्वा, 177 रकबा 3 बिस्वा, 119 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 266 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा का 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से हिस्सा 1/8 कुल 9 3/4 एकड जमीन अधिग्रहण की गई है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

के बदले दिनांक 15.05.1976 के द्वारा उपजिलाधीश सांभर के द्वारा सीलिंग पत्रावली 80/75 सरकार बनाम रामप्रताप में खातेदार का विकल्प मंजूर किया जाकर खसरा नम्बर 119, 266, 282 के हिस्से 1/8 की भूमि के बजाय खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा को कब्जे में लेने तथा खसरा नम्बर 155, 158, 161, 163, 176, 177 के रकबे 6 बीघा को बदस्तूर कब्जे में रखने के आदेष दिये गये। इस प्रकार 15 बीघा रकबा कब्जे में लेकर मुस्तरफा के रकबा नम्बर 119, 266, 282 को कब्जे से छोडने तथा इसकी तामीली रिपोर्ट मय दखलनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के उपर्युक्त आदेश की पालना में दिनांक 01.06. 1976 द्वारा पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया और खसरा नम्बर 119, 266, व 282 के हिस्से 1/8 की भूमि वापिस कब्जा दिया गया। इस कार्यवाही के लिए नामान्रण संख्या 48 व 49 दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 48 के द्वारा खसरा नम्बर 119, 266 व 282 किता 3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा को सिवायचक से पुनः अप्रार्थी संख्या 2 रामप्रतापदान पुत्र रामकरण दान कौम चारण सा.देह के नाम से दर्ज किया गया है एवं नामान्तरण संख्या 49 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण सें खसरा नम्बर 251 मिन रकबा 9 बीघा सिवायचक दर्ज की गई है। यह कार्यवाही सीलिंग अधिनियम से प्रभावी रही है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 लागू ही नहीं होता है। अतःप्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के हित उसकी आराजी खसरा नम्बर 119, 266, व 282 कित 3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के लिए दर्ज किये गये नामान्तरण संख्या 48 के लिए इस प्रार्थना पत्र द्वारा कोई वाद प्रार्थना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। प्रस्तु त साक्ष्यों का परीक्षण किया। प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट हे कि अप्रार्थी सख्या 2 के पिता रामप्रताप दान के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की गई। इस सीलिंग में श्री रामप्रताप दान की अधिगृहित भूमि के उनके मन तकासमा के आधार पर हिस्से में प्राप्त भूमि के लिए दिये गये आप्शन एवं उस आप्शन को उपखण्ड अधिकारी के द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण उसकी पूर्व में अधिगृहित भूमि को पुनः लौटाते हुए विकल्प में दी गई भूमि को राजहित में अधिगृहित कर लिया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई भूमि एवं इस दर्ज की गई भूमि के लिए दर्ज किये गये नामान्तरण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन का प्रकरण नहीं होकर सीलिंग प्रकरण में सीलिंग से प्रभावित भूमि के अधिग्रहण किये जाने एवं काश्तकार की सुविधा के लिए उसके द्वारा दिये गये आप्शन के अधीन उसकी दूसरी भूमि को अधिग्रहण कर आप्शन भूमि को छोडे जाने से संबंधित है। यह कार्यवाही पूर्ण रूप से सीलिंग विधि की प्रकिया का हिस्सा है तथा इस पर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) लागू ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इन प्रार्थना पत्रों के द्वारा नामान्तरण संख्या 48 व 49 के विरूद्ध कोई क्लेम प्रार्थना प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी अपने हक में आई हुई इस भूमि पर कब्जा काश्तकर रहा है तथा इस संबंध में किसी भी पक्ष को कोई उज्र/आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी वर्तमान में खातेदार आसामी है। अप्रार्थी संख्या 2 को सीलिंग आप्शन से सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राप्त भूमि है। इस प्रार्थना पत्र में सीलिंग कार्यवाही के विरूद्ध कोई उज्रदारी नहीं है। कोई भी खातेदारी का अवसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में दी गई विधान व्यवस्थाओं के तहत ही खारिज की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्री गणपतसिंह के मामले तक सर्वथा असंगत होने के कारण यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्री गणपतसिंह के हित पक्ष में स्वीकार किये जाने एवं प्रार्थी के प्रार्थना को इस सीमा तक खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

(3) प्रार्थी बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई निवासी केरिया खुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर – प्रार्थी के लिए उपस्थित अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि आवंटन मिसल संख्या 232 दिनांक 29.6.1976 को उपजिलाधीश सांभर द्वारा अलॉटमेन्ट दिनांक 28.06.1976 के अन्तर्गत इसके पिता श्री छोगाराम बलाई पुत्र देवा को खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 251 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन करना बताया गया है।

अप्रार्थी श्री बाबूलाल द्वारा उसके अपने पिता स्व. श्री छोगा पुत्र देवा को ग्राम केरिया खुर्द के खसरा नम्बर 251 में से रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि "आवंटन आदेश की पटवारी को सूचना" के आदेश कमांक 2329 दिनांक 21.07.1976 को आवंटन किये जाने के आदेशों की सत्यप्रति उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली शामिल किया गया है। इस आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 55 पटवारी स्तर पर दर्ज किया गया।

श्री बाबूलाल के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए एक मुकदमा उनवानी छोगा बनाम तहसीलदार संख्या 21/94 दायर किया था जिसमें सहायक कलक्टर दूदू द्वारा यह आदेश दिनांक 09.12.1994 यह डिक्री आदेश पारित किया गया कि "अतः आदेश दिये जाते हैं कि यदि मौके पर वादी आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और वादी का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो नियमानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अम दरामद किया जावे। अतः वादी का दावा बाबत् आराजी खसरा नम्बर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम केरिया खुर्द, तहसील दूदू डिक्री किया जाता है। डिक्री परचा जारी हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि क्या बाबूलाल को भूमि का आवंटन किया गया अथवा नहीं। आवंटन संबंधी पत्रावली के अनुसार केवल भूमि का आवंटन श्री शंकरलाल के पक्ष में होना पाया गया है। आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर द्वारा भी – "प्रकरण में आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और अप्रार्थी संख्या 5 का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो निमयानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।" निर्णय दिया गया और निर्णय के साथ डिक्री भी पारित की गई। इस प्रकार सहायक कलक्टर के द्वारा पूर्व में भूमि अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके है। सहायक कलक्टर के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है।

इसी प्रकरण में तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 27.03.1976 से आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 67 बीघा 04 बिस्वा भूमि भूरदान वगैरह के खाते से तथा नामान्तरण संख्या 49 दिनांक 18.05.1977 से रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण के खाते से खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि सीलिंग में आने के कारण सिवायचक अंकित की गई थी।

तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण से संबंधित समस्त नामान्तरणों की स्थिति स्पष्ट करते हुए नामान्तरणवार स्पष्ट किया गया है कि –

- उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश संख्या 1225 दिनांक 15.5.1976 के कम में नामान्तरण संख्या 48 दिनांक 18.05.1977 से खसरा नम्बर 282 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण सा.देह के नाम खातेदारी हक स्वीकार हुआ।
- नामा संख्या 52 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/1 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा बी. एन.गौड के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुआ।
- नामा संख्या 53 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/1 रकबा 9 बीघा मनभरी बेगा गुरगा कौम बागरिया सादेह के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

- नामा संख्या 55 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा, 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा छोगा पुत्र देवा जाति बलाई के नाम स्वीकृत हुई लेकिन इसका नामान्तरण में अमल नहीं हुआ।
- नामा संख्या 56 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/3 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा शंकरलाल पुत्र लालूराम कौम..... सां केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई।
- नामा संख्या 57 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर सा. केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई। लेकिन पटवारी द्वारा इस पर डबल अलॉट होने के कारण काबिल खारिज है, नोट अंकित किया गया है।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 282 एवं 251 में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण छोगा पुत्र देवा बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सम्भव नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकरलाल पुत्र लालू रैगर गैर खातेदार का मौके पर कब्जा नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि छोगा पुत्र देवा बलाई का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, कोई काश्त नहीं की गई है, तत्कालीन नियमानुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि, अगले वर्ष में 75 प्रतिशत भूमि तथा तीसरे वर्ष में पूर्ण भूमि को काश्त अधीन लाया जाना था, जो कि आवंटी द्वारा नहीं लाया गया है, तथा आवंटन की कोई शर्त का कोई पालन नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर दूदू द्वारा दिये गये निर्णय में भी प्रार्थी का आवंटन तिथि से लगातार काबिज होने तथा वादी का आवंटन, आवंटन के पश्चात निरस्त नहीं किया गया हो तो नियमानुसार ही नामा.संख्या 55 के अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में छोगा आवंटन तिथि से लगातार आवंटित की गई भूमि पर काबिज नहीं है तथा इस प्रकार आवंटन की शर्तों की भी कोई पालना नहीं की गई है। छोगा पुत्र देवा को भूमि का आवंटन संबंधित खसरे में भूमि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद आवंटन किया गया है। इस कारण छोगा पुत्र देवा बलाई का आवंटन एतद् नियम 14(4) के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 भू राजस्व अधिनियम 1956 का व्यक्तिवार निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 5 का मौके पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को प्रकरण भूमि सीलिंग आफ्शन से प्राप्त खातेदार आसामी होने के कारण एवं आवंटन नियम 1970 लागू नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजियात गत खसरा नम्बर 282/2 नया खसरा नम्बर 282 एवं हाल खसरा नम्बर 450, 451, 452 में से अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू राज0

Scanned with OKEN Scanner